

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2017

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में राजीव आवास योजनान्तर्गत 18 जनपदों की परियोजनाओं के लिए डी0पी0आर0 प्रिपरेशन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक-एन-11032/45/2014-डी0पी0आर0(आर0ए0वाई0)(एफटीएस-12112), दिनांक 07 जून, 2016 के आधार पर आपके पत्र संख्या-5785/40/76/एक/2016-17, दिनांक 29 मार्च, 2017 व पत्र संख्या-488/40/76/एक/2016-17, दिनांक 17 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत राजीव आवास योजनान्तर्गत 18 जनपदों की परियोजनाओं के लिए डी0पी0आर0 प्रिपरेशन हेतु उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के सापेक्ष लेखानुदान के माध्यम से उपलब्ध धनराशि से रू0 100.86 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी हजार मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। इसके अतिरिक्त अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
5. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

क्रमशः.....2

श्री. नौचर (सं. 2017/17)

FC 11046
30/6/17

6. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा एवं इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
7. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कैलेंडर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
8. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्वावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूझा/झूझा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राजीव आवास योजना-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-885/दस-2017, दिनांक 29.06.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 92 /2017/731(1)/69-1-17-14(129)/2016टीसी. तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।